10 4/23

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर एक पुनः पत्र
संबद्ध किये गये जबकि अपील दिनांक 28.2.18 को पेश की
गयी जिसमें अपीलार्थी की मृत्यु दिनांक 19.2.09 को
हो चुकी है वकील अपीलार्थी द्वारा उनके कानूनी उत्तराधिकारी
की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। तब से लेकर आज तक कोई
कार्यवाही नहीं की गयी। बार-बार अवसर दिया गया।
अपीलार्थी व उनके वकील उपस्थित नहीं हुए। अपीलार्थी की
अपील अपीलार्थी मृत हो चुके व अन्य पेशियों में उपस्थित नहीं
हुए। अपीलार्थी के कानूनी उत्तराधिकारी के बारे में
उनके एवं अन्य लंबित अपील खारिज की। आदेश
सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)